2

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांक5486सीईएनटी / 12–156रेप / 88–89 / 08टीसी दिनांक:31 अगस्त, 2012

1. प्रधान प्रबन्धक (केन्द्रीय / डा0 राम मनोहर लोहिया कार्यशाला),
कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0परिवहन निगम।
3. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो),
उ0प्र0परिवहन निगम।

विषयः <u>अक्षम चालकों को उच्च वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में।</u>

कार्यालय परिपत्र संख्या–4411सीईएनटी / 08–156रेप / 88–89 / 2008,दिनांक 01 सितम्बर, 2008 के पृष्ठ–2 पर अक्षम चालकों को उच्च वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे। "स्थाई रूप से अक्षम कर्मचारी वस्तुतः उचित वैकल्पिक कार्य भी नहीं करते है और उन्हें निरर्थक रूप से इधर–उधर तैनात दिखाया जाता है। ऐसे लोगों को उस पद का उच्च वेतनमान भी दे दिया जाता है, जबकि वेतन आयोग की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि एक नियत अवधि तक अपने पद का मेरिटोरियस कार्य करने पर ही कर्मचारियों को उच्च वेतनमान मिलेगा।"

इस सम्बन्ध में परिवहन निगम के मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों द्वारा निगम प्रबन्धन के समक्ष निरन्तर यह मांग की जा रही है कि अक्षम घोषित कर्मचारियों द्वारा वैकल्पिक कार्य पूरी निष्ठा और लगन से किया जाता है और ऐसी स्थिति में उच्च वेतनमान अनुमन्य न किया जाना उचित नहीं है। अतः ऐसे कर्मचारियों को भी उच्च वेतनमान अनुमन्य किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में निगम उच्च प्रबन्धन द्वारा विचार–विमर्श के मध्य यह तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसे कर्मचारियों से वैकल्पिक कार्य The Persons With Disabilities Equal Opportunities Protection of Rights and full Participation Act-1995 के अधीन लिया जाता है और उनके द्वारा वैकल्पिक कार्य निगम द्वारा अक्षम चालकों / परिचालकों के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप निष्पादित किया जाता है। अतः ऐसे कर्मचारियों को नियमानुसार उच्च वेतनमान उपलब्ध कराना न्यायसंगत होगा।

अतः वर्णित स्थिति में यह निर्देशित किया जाता है कि अक्षम कर्मचारियों से नियमानुसार वैकल्पिक कार्य लिए जाने और उनके द्वारा आवंटित वैकल्पिक कार्य निगम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उत्कृष्ट श्रेणी का निष्पादित किए जाने पर भविष्य में उच्च वेतनमान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से अर्थात् दिनांक 01.09.12 से प्रभावी होंगे।

आलोक

(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक